हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

समता आन्दोलन
हर इन्सान-एक समान

वर्ष : 11 अंक : 12 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 दिसम्बर, 2020

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

एलडीसी भर्ती-2018 में हाईकोर्ट का नोटिस

भर्ती में शामिल नहीं बैकलॉग पदों पर आरक्षित सूची से नियुक्ति क्यों: हाईकोर्ट

जयपुर। हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती-2018 की भर्ती विज्ञप्ति में शामिल नहीं एससी-एसटी पर कोर्ट ने बैकलॉग पदों पर आरक्षित सूची से नियुक्ति देने पर प्रमुख कार्मिक सचिव, एसीएस प्रशासनिक सुधार विभाग व सेवा चयन बोर्ड से जवाब मांगा हैं। अदालत ने पूछा वे बैकलॉग के 1254 पदों पर नियुक्ति क्यों दे रहे है जस्टिस एसपी शर्मा ने यह निर्देश जयप्रकाश शर्मा, समता आन्दोलन समिति व अन्य की याचिका पर दिया। अधिवक्ता शोभित तिवारी ने बताया कि प्रार्थियों ने एलडीसी भर्ती में भाग लिया था और वे आरक्षित सूची में हैं। लेकिन राज्य सरकार ने मई 2020 में आदेश जारी कर कहा कि बैकलॉग पदों को आरक्षित सूची से भर दें, यदि पद आरक्षित नहीं हो तो किन्ही अन्य पदों से भर दें या फिर ज्वाइन करवाने के बाद नए पद सृजित करवा लिए जाएं ।

राज्य सरकार के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि भर्ती में शामिल नहीं किए गए बैकलॉग पदों को आरक्षित सूची से भरना गलत हैं। यदि एससी-एसटी कोर्ट के बैकलॉग के पदों पर नियुक्ति हो गई तो वे अनारक्षित पदों पर आएंगे। इसलिए आरक्षित सूची में जो अभ्यर्थी जिस वर्ग का है उसे उसी वर्ग में से नियुक्ति दी जाएं। अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए आरक्षित सूची को बहाल रखा।

गौरतलब है कि समता आन्दोलन समिति ने राज्यपाल महोदय, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार से कनिष्ठ लिपिक/ कनिष्ठ सहायक बैकलॉग 1254 पदों पर अविधिक भर्ती से होने जा रहे राज्य सरकार को 3,95,84,48,63,040/- (39585 करोड़ रूपये) के अनुमानित नुकसान को रोकने तथा जिम्मेवार अधिकारियों को दण्डित किये जाने का अनुरोध किया था।

समता आन्दोलन समिति को राज्य सरकार द्वारा की जा रही कनिष्ठ लिपिक/ कनिष्ठ सहायक के 1254 पदों की अविधिक बैकलॉग भर्ती के बारे में आर. टी. आई. आवेदनों पर सम्बन्धित विभागों/ नियुक्ति अधिकारियों से लिखित सूचना प्राप्त हुई थी जिससे प्रमाणित होता हैं कि राज्य सरकार के पास एल.डी.सी./ कनिष्ठ सहायक के कोई भी बैकलॉग पद नहीं होते हुए अविधिक रुप से 1254 पदों पर अपवित्र उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ये भर्तियाँ की जा रही है।

1254 पदों पर अविधिक भर्ती से आगामी 35-37 वर्षों में सरकार को रूपये 3,95,84,48,63,040/- की भारी भरकम राशि का नुकसान होने जा रहा है। इस अनुमानित नुकसान की गणना रिपोर्ट राज्य सरकार के लेखा मर्मज्ञ पूर्व वित्तीय सलाहकार एवं निदेशक (वित्त) श्री बी0 एस0 जोशी से भी अनुमोदित करवायी गयी थी।

पत्र में बैकलॉग के नाम से 1254 पदों पर की जा रही अविधिक भर्ती को तत्काल निरस्त कराने एवं राज्य सरकार को होने वाले (लगभग 39585 करोड़ रूपये)नुकसान को रोकने तथा दोषी अधिकारियों को समुचित रुप से दण्डित कराने का अनुरोध किया गया था। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने पर समता आन्दोलन समिति ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिस पर न्यायालय ने प्रमुख कार्मिक सचिव, एसीएस प्रशासनिक सुधार विभाग व सेवा चयन बोर्ड से जवाब मांगा हैं कि क्यों न भर्तियाँ रद्द कर दी जाय व संबंधित अधिकारियों को दण्डित किया जाय।।

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को खारिज किया

अदालत अनुसूचित जनजाति पर राष्ट्रपति आदेश में बदलाव नही कर सकती

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें महाराष्ट्र के विशेष पिछड़े वर्ग में शामिल गोवारी समुदाय को गोंड गोवारी की तरह अनुसूचित जनजाति (एसटी) घोषित कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि गोवारी व गोंड गोवारी अलग जातियां हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ ने कहा कि अनुसूचित जनजाति पर राष्ट्रपति आदेश में बदलाव अदालत नहीं कर सकती है।

इस संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बैंच ने 14 अगस्त 2018 को कहा था कि संविधान (अनुसूचित जनजाति)आदेश, 1950 में एसटी के रूप में शामिल गोंड गोवारी समुदाय वर्ष 1911 से पहले विलुप्त हो गया था और एसटी के रूप में शामिल करते समय 29 अक्टूबर 1956 से पहले उसके महाराष्ट्र या मध्यप्रदेश में अस्तित्व का कोई निशान नहीं था। लिहाजा गोवारी समुदाय को एसटी के लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता।

आने वाला नया साल 2021 न केवल मानव बल्कि जीव मात्र के लिए कल्याणकारी हो।
''नव वर्ष की शुभकामनाएँ ''

कोरोना संकट का आयुर्वेदिक प्रबंधन स्थापित करने के लिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने आठ पेजों की गाइडलाइन्स जारी की हैं। समता आन्दोलन ने इसका मंथन कर नवनीत के रूप में मात्र एक पेज का पैम्फलेट तैयार करके प्रदेश के सवा करोड़ घरों में पहुंचाने का संकल्प प्रकट किया है। हाल ही न्यायमूर्ती पानाचंद जैन एवं देश के मूर्धन्य वैद्य श्री बनवारी लाल गौड़, पूर्व उप्कुलपति आयुर्वेद विश्वविद्यालय और निदेशक इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर ने विमोचन किया। यह पैम्फलेट पोस्टर के रूप में अंतिम पृष्ठ पर प्रकाशित किया जा रहा है। समता ज्योति के सदस्यों से आग्रह है कि वे इसे अपने घरों में संभालकर रखें व अपने परिजनों, मित्रों को कोरोना संकट से उबरने में सहयोग करें।

प्रतिगामी कांग्रेस

एक दम ताजा घटना के अनुसार श्रीमती सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिख कर सरकारी ठेकों में दलितों को आरक्षण देने को कहा है। याद रहे वहाँ कांग्रेस सरकार में भागीदार है। अपने पत्र में उन्होने कहा है कि प्रदेश में अनुसूचित जाति-जनजाति समुदायों के विकास के लिये आबादी के अनुपात में बजट आंवटन के साथ चार सूत्री पहल की जावे। पार्टी के महाराष्ट्र प्रभारी एच के पाटिल के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष ने उद्धव ठाकरे से कहा कि सरकारी उपक्रमों के ठेकों व परियोजनाओंमें एससी/ एसटी समुदायों के लियेआरक्षण की व्यवस्था शुरू की जावे। इसके साथ ही विभिन्न विभागों में इन समुदायों के आरक्षित पदों को भरा जावे। जबकि शिवसेना का कहना है कि गठबंधन का दबाव नहीं है।

अध्यक्ष की कलम से

सेवानिवृति मृत्यु नहीं है, राजा के जीवन की शुरूआत है

साथियों,

सब कुछ इतना आसान नहीं होता। यहाँ तक कि हम सब प्रतिदिन-प्रतिक्षण जो सांस लेते हैं उसके लिए भी जाने-अनजाने अनगिनत प्रयास करने पड़ते हैं। यह सब हम स्वाहित में करते हैं। लेकिन देश दुनिया के जितने भी दिव्य मनुष्य हुये है उन्होंने पूरा जीवन परहित में होम किया है।

परहित का छोटे से छोटा कदम भी अनेक कठिनाइयों के बाद ही उठाया जा सकता है। सुख-सुविधा और साधन सम्पन्न लोग भी जो परहित करते हैं वे भी पहले अपने मन के अनेक प्रश्नों का उत्तर देते हैं। हम यह बात सिद्धान्त के रूप में नहीं वरन व्यवहार के आधार पर कहते हैं। समता आन्दोलन अपने बारह साल की यात्रा के बाद जिस मुकाम पर पहुंचा है उसके मूल में परोपकार का भाव ही रहा है। देश में एक मात्र मानववादी दृष्टिकोण अपना कर चलने वाला यह आन्दोलन बहुआयामी गतिविधियों से देश की सेवा कर रहा है।

यह चौंकाने वाला तथ्य हो सकता है लेकिन सच है कि हमारे किसी भी कार्यकर्ता, कार्यकारिणी सदस्य अथवा अधिकारी ने निजी लाभ के लिए कभी इसका प्रयोग नहीं किया है। यह ठीक है कि इसकी शुरूआत सरकारी कर्मचारियों के हित से हुई थी लेकिन शुद्ध भावना से किये गये कार्य जिस तरह सार्वजनिक धरातल पर स्वत: फलिभूत होते है वैसा ही समता आन्दोलन के साथ हुआ है। यात्रा जारी है। नव वर्ष की शुभकामनाएं।

सादर।

सम्पादकीय

''माँ माता और विमाता''

मेरी माँ तेरी भी माँ,
तेरी माँ मेरी भी माँ।
जो इतना भर समझ गया–
वो कह सकता क्या है माँ ''

चार पंक्तियों के इस लघु मुक्तक में सरसरी तौर पर कुछ खास नहीं दिखाई देता। बल्कि शीघ्रता की सोच वालों को यह किसी पार्टी का विज्ञापन भी लग सकता है। लेकिन यदि दुर्गाशप्तशती में माँ के बारे में जो कहा गया है उसके प्रकाश में देखा जाये तो ये चार पंक्तियों का मुक्तक न केवल मानववाद अपितु लोकतंत्र का भी बीज है। ''माँ'' की व्याख्या में केवल जननि अथवा जन्म न देकर भी मातृवत पालन करने वाली नारी नहीं अपितु हमारे जीवन का हर कार्य व्यवहार समाहित है।

जिसे आधुनिक विज्ञान '' एनर्जी '' कहता है उसे सैंकड़ों साल पहले भारतीय मनीषियों ने शक्ति के रूप में न केवल प्रतिष्ठा दी बल्कि ''माँ'' के रूप में जगत उद्धारक (कल्याण के अर्थ में) बताया। इसी दृष्टिकोण के तहत दुनिया भर के दार्शनिकों को जो सबसे बड़ा है उसे ' माँ ' के रूप में मान्यता दी। जैसे धरती माँ। यही कारण है कि संसार भर के 204 देशों का नाम चाहे कुछ भी हो लेकिन वहाँ की भूमि को ''माँ'' ही माना गया है।

लोकतांत्रिक सरकार को भी 'माँ' का दर्जा दिया गया । ऐसी माँ जो अपनी सम्पूर्ण प्रजा (जनता) को धर्म, जात, सम्प्रदाय, रंग आदि-आदि विशेषताओं से नहीं अपितु संतान के समत्व भाव से देखती ही नही है अपितु व्यवहार भी करती है। बेशक लोकतांत्रिक सरकार एक संविधान के तहत अपने ''माँ'' होने के स्वरूप के प्रति प्रतिबद्ध होनी चाहिये। लेकिन व्यवहार और सिद्धांत में एकरूपता नहीं होने के कारण ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता है। इतना तो अवश्य है कि माता कुमाता नहीं हो सकती है किंतु फिर भी विमाता होने के अनेक उदाहरण देश-दुनिया में देखने को मिलते हैं।

भारत का संविधान अपने कथित लचीलेपन के कारण संसद और सरकार को कुमाता बनने से रोकता है तो वह नयी-नयी स्थापनाओं के तहत विमाता की भूमिका में अवतरित हो जाती हैं। बल्कि हो चुकी है। पूरा देश जानता है कि गूजर,पटेल,जाट आंदोलन ने हिंसक प्रदर्शन करके अपनी जाति आरक्षण की मांगें मनवाई। जबकि शांत और सभ्यता से अपनी बातों/मांगो को संवैधानिक सच सिद्ध कर देने के बाद भी अदालतों की, सरकार (प्रशासन) की मनमानियों का विष पीने को बाध्य है। ऐसे में लगता है कि सरकार माता का पद छोड़कर विमाता बनना अधिक फलीभूत मानती है।

सरकारों का केवल हिंसा को मान्यता देना उचित नहीं है। लेकिन सच को मनवाना आसान नहीं है। विशेषकर आज के छीना-झपटी वाले, विपक्षहीन लोकतंत्र में तो असंभव ही है। इन हालातों में सरकार को माँ कहते हुए जीभ लड़खड़ाती है, तालु सूख जाता है। और धीरे-धीरे जिस तरह पूरा तंत्र निष्प्राण बनता या बनाया जा रहा है उसे देखकर यहीं लगता है कि विमाता अब कुमाता के दर्पण में झांकने लगी है। हे प्रभु! माँ को माता रहने की समझ देवें।

जय समता

- योगेश्वर झाड़सरिया

बार और बेंच का पवित्र (?) बंधन

देश में न्याय की मूर्ति की आखों पर काली पट्टी बंधी हुई दिखाई जाती है। यह भी लोक कहावत है कि न्याय अंधा होता है। न्याय की प्रतिमा और न्याय को गांधारी और धृतराष्ट्र के संदर्भ में नही देखा जा सकता । द्वापर के उस कालखण्ड में ही नहीं वरन् भारत में अंग्रेजी सत्ता स्थापित होने के ठीक पहले तक न्याय की परिभाषा राजा अथवा सामन्त की इच्छा तक ही सीमित थी । लिखित न्याय की गुरूआत संवैधानिक शासन के बाद में हुई।

इतनी बड़ी भूमिका का कारण हाल ही दिनांक 18 दिसम्बर को हाईकोर्ट की जोधपुर बैंच का आदेश है। वरिष्ठ जज संगीत लोढा और जज रामेश्वर व्यास की खण्डपीठ ने आदेश दिया है कि शेष रहे 90 शहरी निकायों के चुनाव 15 फरवरी तक करना लिये जावें।

स्थानीय निकायों के चुनाव में ओ बी सी आरक्षण को लेकर एक जनहित याचिका हाईकोर्ट जयपुर के सामने लम्बित हैं। उसपर बहस होकर सरकार का जवाब भी दाखिल हो चुका है। इसके बाद से करीब एक साल से यह जानबूझकर अनदेखी का शिकार है। इस याचिका में कहा गया है कि 102 वें संविधान संशोधन के बाद भारत में कहीं किसी स्तर पर भी ओ बी सी का आरक्षण नहीं है। यह बात स्थानीय निकायों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले की है।

जनहित याचिका होने के कारण यह राजस्थान के 72 प्रतिशत लोगों से सीधे तौर पर जुड़ी है। यानि लगभग पाँच करोड़ लोग जिसे अन्याय के रूप में झेल रहे हैं उसे सुनने की फुर्सत हाईकोर्ट के पास नहीं है। सम्भवत: इसीलिये न्याय प्रक्रिया पर अंगुलि उठाते हुए कहा जाता है-देरी से न्याय अन्याय जैसा है- । बहर हाल मुख्य याचिका कर्ता ने राजस्थान के मुख्य न्यायधीश को पत्र लिखकर अपनी याचिका सुनने की प्रार्थना की । फिर वकील के माध्यम मौखिक मैन्शनिग की गई। कुछ नहीं हुआ । चार दिन तक याचक ने हाईकोर्ट जाकर लगातार लिखित अर्जी दर्ज करके अपनी जनहित याचिका सुनने की प्रार्थनो की। कोई असर तो क्या होना था किसी पत्र की पावती तक नहीं मिली। फिर अंतिम प्रयास के रूप में वकील ने लिखित याचिका लगाकर इस जनहित याचिका को सुनने की गुहार लगाई । लेकिन कुछ नहीं हुआ । अब इसे क्या कहा जाये? क्या मान लें कि न्याय अंधा होने के साथ ही अब बहरा भी हो चला है? इस सारे प्रकरण में एक बात ये निकलकर आई कि जिस याचिका में वकील नियुक्त हो गया उसमें याचक की औकात कीड़े-मकौड़े से अधिक नहीं है। उधर बार और बैंच का गठजोड़ इतना अटूट है कि किसी याचक को अपनी बात कहने का अवसर ही नहीं है। यदि कोई याचक स्वयम अपनी पैरवी करना चाहता है तो उसकों हतोत्साहित करने के हथकण्डे अपनाए जाते हैं। वैसे भी बार और बैंच के बीच केस को लेकर जो बात होती है उसे तीस फुट दूर खड़ा याचक तो बेचारा सुन ही नहीं पाता । बाहर आकर वकील उसे इतना ही कहता है कि ''तारीख पड़ गई''है। और बेचारा याचक फिर अंधेरी गलियों में भटकाया जाता रहता है।

लेकिन अदालत और जज अपने को न्याय का रक्षक सिद्व करने के लिये कई बार किसी पोस्ट कार्ड, अन्तर्देशीय अथवा अखबार की खबर को भी जनहित का विषय मानकर स्वयम संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका और वो भी बिना तथ्यों के दर्ज कर लेते हैं। गूजर आरक्षण आन्दोलन के दौरान किसी जी.शर्मा का पत्र ऐसी ही जनहित याचिका बना था। बाद में उसका क्या हुआ,कोई नहीं जानता।

स्थानीय निकाय चुनावों में ओ बी सी के अवैध आरक्षण के विरुद्ध दर्ज चर्चित याचिका को नहीं सुनने के लिये ''कोरोना '' को भी रूकावट माना गया । न्याय देने वाले जजों के प्रति जन आस्था होती है कि सत्य का साथ देने के कारण वे बहादुर होते हैं। लेकिन आखों देखी पर विश्वास करें तो कोरोना काल में लोकतंत्र के चारो खम्भों में से न्यायपालिका सबसे अधिक भयभीत दिखाई दी। वकीलों के बार-बार कहा कि सुनवाई आमने-सामने ही होनी चाहिये। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। यह दुखद और विचारणीय है कि कोरोनाकाल में सैकड़ों (शायद हजारों) पुलिस वालों और डाक्टरों की मौत हुई लेकिन कही से किसी भी न्यायाधीश की मृत्यु की सूचना नहीं है। हालांकि हम किसी की भी सकारण मौत उचित नहीं मानते है लेकिन कोरोनावीरों की मौत को सम्मान के साथ सलाम करते हैं। इसीलिये निडर और पराक्रमी न्यायपालिका को लोकतंत्र का प्राणतत्व मानते हैं। क्योंकि जिस संविधान के बलपर लोकतंत्र चलता है उसकी रक्षा का दायित्व न्यायपालिका पर ही होता है।

इसीलिये जनहित याचिकाओं का प्राथमिकता सूची में नहीं देखकर न्याय और जजों के प्रति विश्वास भ्रमित होता लगता है।

- समता डेस्क

अब भी जेलों में कैदियों पर जातिवाद ?

पिछले दिनों नहीं 'वरन' सालों से भारतीय जेलों में भारतीय कानून से अलग अंग्रेजों के समय से चली आ रही परम्परा को व्यवस्था के रूप में चलाया जा रहा है। वस्तुत: कानूनों की छाया के रूप में हर सरकारी विभाग अपना मैन्युअल बनाता है। जेलों में अभी अंग्रेजों के समय का मैन्युअल लागू है। इसके अनुसार ही वहाँ कैदियों में काम का बटवारा जाती के आधार पर अभी भी बद्स्तूर जारी है।

जेलों में बहुत बड़ी संख्या में कैदी होते हैं और भीतर की व्यवस्था को चलाए रखनें के लिये उनका ही प्रयोग किया जाता है। जैसे प्लम्बर, इलैक्ट्रीशियन, कारपेंटर, हलवाई, बढ़ाई आदि-2 किसी अपराध में जेल जाते हैं तो उन्हें वहाँ अपना काम करने का अवसर सहज ही मिल जाता हैं।

लेकिन दुख और निराशा की बात ये है कि हरिजन आदि इन सब कामों का जानकार है तो भी उसे शौचालयों की सफाई का काम ही सोंपा जाता है। ठाकुर, ब्राहम्मण और धनाड्य लोगों को ऐसा काम कभी नहीं दिया जाता हैं। जबकि महात्मा गांधी की 150वीं जयंति वर्ष पर इस तरह की सूचना मानवता को व्यथित करने वाली है।

इस तरह से देखा जाये तो भारतीय जेलों के भीतर अभी भी जातिवाद को पाला-पोसा जा रहा है। एस सी/एस टी एक्ट का वहाँ कोई वजूद नहीं है क्यों कि वहाँ चार दीवारों के भीतर का जीवन विधान से नहीं व्यवहार से चलता है।

जोधपुर हाईकोर्ट में जज संदीप मेहता और जज देवेन्द्र कछवाहा की पीठ ने इस मामले पर ''कॉमन वेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिसियेटिव की रिपोर्ट को आधार मानकर स्वयम् संज्ञान लेते हुए सरकार को नोटिस जारी करके जेल मैन्युअल में सम्पूर्ण बदलाव के लिये जवाब मांगा है। देखते हैं सरकार चार फरवरी 2021 को क्या जवाब देती है। यह तो समय ही बतायेगा कि व्यवस्था में कितना बदलाव होता है।

पौराणिक कथन : 'कठ'

यजुर्वेद के अन्तर्गत एक उपनिषद। जिसमें जगप्रसिद्ध नचिकेता और यम का संवाद संग्रहित है।

लोकतंत्र में लोक भूल कर,
वे जाती की माला जपते।
संविधान खुद ठगा-ठाग सा-
देख रहा है निज को मरते।।

कविता

जिसने परहित सबकुछ बांटा

खाना-पीना, रूकना चलना.
जीवन इससे बहुत बड़ा है।
जिसने परहित सबकुछ बांटा-
वो अपनों से ठगा खड़ा है।
आसमान से तारे लाना,
बच्चे के मन को बहलाना ।
दूजे के हित जीना मरना,
अपनों के हित पर हकलाना।
ये तो एक नई विपदा है-
संस्कार लाचार पड़ा है।।
खाना-पीना, रूकना चलना.
जीवन इससे बहुत बड़ा है।
जिसने परहित सबकुछ बांटा-
वो अपनों से ठगा खड़ा है।।
दीर्घ शिखा जीवी अब कम है
सभी दिशाएं दिखती भ्रम हैं।
फूटे ढोल सजे हैं मिलते-
कौन कहे सच किसमें दम है।
अंगारों पर चलने वाला-
पानी से डर छुपा पड़ा है।।
खाना-पीना, रूकना चलना.
जीवन इससे बहुत बड़ा है।
जिसने परहित सबकुछ बांटा-
वो अपनों से ठगा खड़ा है।।
ललकारों की बाट जोहता,
यौवन सहमा सा दिखता है।
अर्जुन रख गांडीव घरा पर,
अपने ही हाथों बिकता है।
सब कुछ उलट पलट है भाई
दिखता न्याय औंघा घड़ा है।।
खाना-पीना, रूकना चलना.
जीवन इससे बहुत बड़ा है।
जिसने परहित सबकुछ बांटा-
वो अपनों से ठगा खड़ा है।।

-समता डेस्क

हमारा संविधान एक गतिशील दस्तावेज है

गतांग से आगे:-

भारतीय रेलवे मामले में न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर की टिप्पणियाँ भी तो यही कहानी कहती हैं, जिसमें रेलवे ने आरंभिक भरती और पदोन्नति-दोनों स्तरों पर आरक्षण की घोषणा की थी; यह आरक्षण भी 50 प्रतिशत नहीं बल्कि 66.67 प्रतिशत रखा गया था और आरक्षित पद रिक्त रहने की स्थिति में उन्हें तीन वर्ष तक आगे बढ़ाए जाने का प्रावधान भी किया गया था।

अंततः मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया था। इसमें न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर और चिन्नप्पा रेड्डी ने अपना जो निर्णय थोपा था, उसे ही दो न्यायाधीशों ने एक अन्य मामले देवदासन पर फैसला देने वाले पाँच न्यायधीशों की खंडपीठ के निर्णय को अप्रासंगिक बनाने के लिए आधार बना लिया।

इन न्यायाधीशों ने यह सब कुछ किस प्रकार न्यायसंगत ठहराया? ''संवैधानिक कानून से संबंधित सामाजिक मामलों पर काम करने वाले हम न्यायाधीशों को कभी नहीं भूलना चाहिए कि संविधान सामाजिक क्रांति से युक्त एक राष्ट्रीय घोषणा-पत्र है, न कि लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी समाज में प्रवेश करने के लिए तैयार की गई कोई विधिक पांडुलिपि, जो सामंतवादी-उपनिवेशवादी इतिहास की लंबी रात्रि के बाद मानवीय व्यवहार के लिए तरसते लाखों-करोड़ों हरिजनों-गिरिजनों सहित सभी के लिए एक समान है।'' यह न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर का स्पष्टीकरण था।

''इन तत्वों ने हमारे संवैधानिक मूल्यों का पोषण किया, जिनमें जाति-रहित समाज का आधार ढूँढ़ा जाना चाहिए, उनके नाक मो मिटाकर नहीं बल्कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के द्वारा।

'' न्यायमूर्ति अय्यर की टिप्पणी जारी है।''सामाजिक इतिहास की इस कटु सच्चाई को समझने और उसके अनुरूप् संविधान का अर्थ-निरूपण करना-इतने पांडित्यपूर्ण ढंग से नहीं कि शब्दार्थ के अत्याचार से उसका मूल भाव ही आहत हो जाए- न्यायिक देशभक्ति का कार्य है, जो स्वतंत्रता को साकार रूप देने के लिए तीसरी दुनिया की परिस्थितियों में अत्यंत प्रासंगिक है।'' यानी विरोधी मत प्रकट करनेवाला व्यक्ति 'शब्दार्थ का अत्याचार' कर रहा है, 'न्यायिक देशभक्ति' का अभाव है, वह 'सामाजिक इतिहास की इस कटु सच्चाई' की ओर से मुँह मोड़ रहा है।

''हम अनुच्छेद 16(4) का सीमित या संकीर्ण आशय लेकर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की विकट सामाजिक स्थिति को नहीं समझ सकते। इसे भली-भाँति समझने के लिए हमें इसे सामाजिक लोकतंत्र के व्यापक संदर्भ में देखना होगा, जिसके बिना भारतीय मानवता का पाँचवाँ हिस्सा गणतंत्र की वास्तविक

> न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर का कहना है, ''हमारा संविधान एक गतिशील दस्तावेज है, जिसका गंतव्य सामाजिक क्रांति है। यह न तो शक्तिहीन है और न ही निश्चल अथवा स्थिर, बल्कि यह पूरी तरह से उद्देश्यपूर्ण और मूल्य-सापेक्ष है, जैसा हमारे गणतंत्र की घोषणा है। जहाँ प्राचीन समाजिक अन्याय पूरी भारतीय मानवता के लिए 'आत्मिक धारा' को अवरूद्ध कर देता है, वहाँ हमारा संविधान गुटनिरपेक्ष नहीं रह जाता।

पहुँच से बाहर रह जाएगा।'' यह नसीहत है न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर की।

न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर का कहना है, ''हमारा संविधान एक गतिशील दस्तावेज है, जिसका गंतव्य सामाजिक क्रांति है। यह न तो शक्तिहीन है और न ही निश्चल अथवा स्थिर, बल्कि यह पूरी तरह से उद्देश्यपूर्ण और मूल्य-सापेक्ष है, जैसा हमारे गणतंत्र की घोषणा है। जहाँ प्राचीन समाजिक अन्याय पूरी भारतीय मानवता के लिए 'आत्मिक धारा' को अवरूद्ध कर देता है, वहाँ हमारा संविधान गुटनिरपेक्ष नहीं रह जाता।

सक्रिय समीकरण को मानव-समीकरण की यथार्थ रणनीति के रूप् में देखा जाए तो वह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के लिए बुरा नहीं है। इसके विपरीत धारणा संवैधानिक रूढ़िवाद है, जो (संविधान के) सामाजिक बुद्धिमत्तापूर्ण अर्थ-निरूपण के लिए हानिकारक है।'' यहाँ भी, विपरीत मत रखनेवाला संवैधानिक रूढ़िवादी है। वह अविवेकपूर्ण सामाजिक अर्थ-निरूपण का दोषी है।

माननीय न्यायाधीश की नसीहत है, ''संवैधानिक प्रश्नों को सतही ज्ञान के आधार पर नहीं देखा जा सकता, बल्कि इन्हें सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में देखा और हल किया जाना चाहिए। आखिर तथ्यों के कारण ही तो शब्दों का अस्तित्व है। प्रतीकात्मकता पर आधारित अवधारणा कोई कानून नहीं है, बल्कि तथ्यों से रहित होने पर यह एक घातक ओर निरर्थक कारक बन जाती है।'' यानी संविधान के वास्तविक अर्थ के आधार पर चलने वाला व्यक्ति संविधान को सतही ज्ञान के आधार पर देख रहा है। वह कानून के रास्ते से भटककर घातक और निरर्थक तत्व की ओर जा रहा है।

देखा गया है कि ये न्यायाधीश किसी एक मामले में दिए गए अपने ही निर्णय या तर्क को वैसे ही दूसरे मामले के संदर्भ में भूल जाते हैं और दूसरे तर्क देने लगते हैं, जो पहले के तर्कों के बिलकुल ही विपरीत होता है, बल्कि उनका खंडन ही करता है। यह सब कुछ वे मामले की आवश्यकता और अपनी इच्छा के अनुसार ही करते हैं।

इंद्रा साहनी मामले में निर्णय दिया गया था कि विशेषज्ञता और अति-विशेषज्ञतावाले पाठ्यक्रमों में सीटों का आरक्षण करने से अंततः सभी को नुकसान होगा। मस्तिष्क का ऑपरेशन निम्न जाति के किसी व्यक्ति के लिए कम गंभीर हो और उच्च जाति के व्यक्ति कि लिए अधिक, ऐसा तो नहीं हो सकता।

लेकिन ये प्रगतिवादी न्यायाधीश तो इस सच्चाई को भी एक ही छलाँग में लाँघ जाते हैं। पहले तो, जैसा हमने देखा, माननीय न्यायाधीश ने विषयों को डिग्री से जोड़कर घालमेल कर दिया।

न्यायालय ने कहा था कि विशेषज्ञता के मामले में कोई आरक्षण नहीं होगा; लेकिन यहाँ तो मामला पाठ्यक्रमों का है। अतः इस मामले में यह टिप्पणी लागू नहीं होती, दूसरी बात आरक्षण का निर्धारण करने का मामला न्यायालय ने कार्यपालिका के हाथों में सौंप दिया। इसका अर्थ हुआ कि न्यायालय की टिप्पणियों का पालन किया जाना कोई बाध्यता नहीं रह गई थी।

इससे भी बात पूरी नहीं बन पाई तो न्यायालय ने अर्हता के मूल्यांकन की पद्धति को ही संदेह के घेरे में उछाल दिया। ''समाज के हितों को नुकसान पहुँचाने की बात हम नहीं मान सकते।''

माननीय न्यायाधीश पूरी दृढ़ता से कहते हैं। ''जैसा हम पहले कह चुके हैं, परीक्षा उत्तीर्ण करने के मामले में कोई अलग बात नहीं है। निर्धारित अर्हता प्राप्त किए बिना कोई भी अभ्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाएगा।

दूसरी बात, शैक्षिक अभिलेख अथवा प्रदर्शन व्यावहारिक कुशलता का प्रमाण नहीं हो सकता। हमने कानून और चिकित्सा-दोनों ही क्षेत्रों में देखा है कि कई बार अच्छे शैक्षिक अभिलेखवाले छात्र व्यवहार में सफल नहीं हो पाते, जबकि कम प्रतिभावान माने जानेवाले छात्र व्यवहार/पेशे में सफल हो जाते हैं।

अतः यह मानना गलत है कि अच्छे शैक्षिक अभिलेखवाला एक चिकित्साकीय अपने चिकित्सकीय पेशे में भी बेहतर प्रदर्शन करेगा। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता'' अतः ऐसा होगा ही नहीं!

इसी प्रकार इंद्रा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि पदोन्नति के मामले में कोई आरक्षण नहीं होगा। इस बार भी प्रगतिवादी न्यायाधीशों ने इस नियम-निरूपण को दरकिनार कर दिया।सर्वोच्च न्यायालय ने इंद्रा सहानी मामले में टिप्पणी की थी-

... शेष अगले अंक में

अरूण शौरी की पुस्तक 'आरक्षण का दंश' से साभार

भारत सरकार के आयुष मंत्रालय का आह्वान

आयुर्वेद अपनाइये, कोरोना भगाइये।

मान्यवर,

हजारों वर्षों से पल्वी हुई भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद एवं योग पर आधारित कोविड-19 (कोरोना) महामारी से बचाव, उपचार / नैदानिक प्रबंधन एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा प्रबन्धन प्रोटोकॉल दिनांक 06.10.2020 को जारी किया गया है। यह प्रोटोकॉल राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद और योग के छः प्रतिष्ठित संस्थानों (AIIA, IPGTRA, NIA, CCRAS, CCRYN और अन्य राष्ट्रीय शोध संगठनों) के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है।

1. कोविड-19 से बचाव के उपाय :

A. सामान्य और शारीरिक उपाय : (i) शारीरिक दूरी, श्वसन और हाथ की स्वच्छता रखें, मास्क पहनें (ii) एक-एक चुटकी हल्दी और नमक के गर्म पानी से गरारे करें (iii) घर से बाहर जाने और वापस आने पर अणु तैल/षड्बिन्दु तैल/तिल तैल/नारियल तैल या गाय का घी नाक में डालें (iv) अजवाईन या पुदीना या नीलगिरि तैल के साथ दिन में एक बार भाप लेना (v) नींद 7-8 घंटे (vi) मध्यम शारीरिक व्यायाम तथा (vii) योग (प्राणायाम आदि) प्रोटोकॉल (संलग्नक-एक व दो) का पालन करें।

B. आहार सम्बन्धी उपाय: (i) अदरक या धनिया या तुलसी या जीरा डालकर उबला हुआ पानी पीएँ (ii) ताजा, गर्म, संतुलित आहार लें (iii) रात्रि में गोल्डन मिल्क (150 मिली गर्म दूध में तीन ग्राम हल्दी चूर्ण) लेवें (iv) आयुष काढ़ा दिन में एक बार लेवें।

C. उच्च जोखिम आबादी या सम्पर्कों में कोविड-19 से बचने के लिए: (i) अश्वगंधा का 500 मिलीग्राम एक्स्ट्रेक्ट या 1-3 ग्राम चूर्ण एक माह तक दिन में दो बार गर्म पानी से लें (ii) गुडूची घनवटी/गिलोय घनवटी/संशमनी वटी का 500 मि.ग्रा.एक्स्ट्रेक्ट या 1-3 ग्राम चूर्ण एक माह तक दिन में दो बार गर्म पानी से (iii) च्यवनप्राश 10 ग्राम गर्म पानी/दूध के साथ प्रति दिन लेवें।

2. लक्षण रहित कोविड-19 पोजिटिव मरीज का उपचार एवं नैदानिक प्रबंधन:

(I) गुडूची घनवटी/गिलोय घनवटी/संशमनी वटी का 500 मिलीग्राम एक्स्ट्रेक्ट या 1-3 ग्राम चूर्ण एक माह तक दिन में दो बार गर्म पानी से (ii) गुडूची + पिप्पली का जलीय एक्स्ट्रेक्ट 375 मिलीग्राम लगातार 15 दिनों तक गर्म पानी से दिन में दो बार (iii) आयुष-64 (500 मिलीग्राम) लगातार 15 दिनों तक दिन में दो बार गर्म पानी से लेवें।

3. हल्का कोविड-19 पोजिटिव मरीज का उपचार एवं नैदानिक प्रबंधन : (बुखार, थकान, सूखी खाँसी, गले में खराश, नाक बंद लेकिन श्वास फूलने से पहले)

(I) गुडूची + पिप्पली का जलीय एक्स्ट्रेक्ट 375 मिलीग्राम लगातार 15 दिनों तक दिन में दो बार गर्म पानी से (ii) आयुष-64 (500 मिलीग्राम) लगातार 15 दिनों तक दिन में दो बार गर्म पानी से लेवें।

4. हल्का कोविड-19 पोजिटिव मरीज का विशेष उपचार एवं नैदानिक प्रबंधन :

(I) शारीरिक दर्द/ सिरदर्द के साथ बुखार के लिए नागरादि क्वाथ (ii) खाँसी के लिए शहद के साथ सितोपलादि चूर्ण गले में खराश/स्वाद में कमी के लिए व्योषादि वटी (iii) थकान के लिए च्यवनप्राश (iv) हाइपोक्सिया के लिए वासावलेह (v) दस्त के लिए कुटज घनवटी और श्वास फूलने पर कनकासव भी संलग्नक-3 के अनुसार या आयुर्वेद चिकित्सक के परामर्श अनुसार ले सकते हैं।

5. कोविड-19 पश्चात् उपचार एवं नैदानिक प्रबंधन: (i) अश्वगंधा का एक्स्ट्रेक्ट 500 मिलिग्राम या चूर्ण 1-3 ग्राम एक माह तक गर्म पानी से दिन में दो बार (ii) च्यवनप्राश 10 ग्राम प्रतिदिन गर्म पानी/दूध के साथ एक बार (iii) रसायन चूर्ण एक माह तक प्रतिदिन शहद के साथ दो बार।

6. कोविड-19 की रोकथाम के लिए तथा कोविड-19 के बाद परिचर्या के लिए योग (प्राणायाम आदि):

संलग्नक-1 एवं 2 में योग प्रोटोकॉल 45 मिनिट एवं 30 मिनिट की अलग-अलग सारणी में बताये गये हैं, इनकी नियमित पालना भी आवश्यक है।

नोट:- उपर्युक्त प्रोटोकॉल (तीनों संलग्नकों सहित) की विस्तृत जानकारी भारत सरकार आयुष मंत्रालय की वेबसाईट पर एवं समता आंदोलन की वेबसाइट www.samtaandolan.co.in के होम पेज पर उपलब्ध है जिसका गम्भीरता से अवलोकन और पालन करेंगे तो शीघ्र ही भारत देश कोविड-19 से मुक्त हो जायेगा। कृपया आयुर्वेद एवं मानवता की सेवा के लिए इस पैम्फलैट को लगातार प्रचारित करते रहें। सादर।

निवेदक : समता आन्दोलन समिति (रजि.)

Indu Printers, Bkn # 9828579704

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in